(c) if the answer to part (a) above be in the negative, the officials responsible for not giving such a forecast and the action taken against them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (PROF. M. G. K. MENON): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Rotational Transfer of Teachers and Principals of Kendriya Vidyalaya, Lawrence Road, Shalimar Bagh and Sainik Vihar, Delhi

3150. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the PRIME MINISTER be pleased to became to answer to Unstarred Question 1463 given in the Rajya Sabha on the 22nd May, 1990 and state:

(a) whether Government propose to make rotational transfers of teachers and principals of Kendriya Vidyalayas at Lawrance Rood, Shalimar Bago and Sainik Vihar, Delhi; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA: (a) No, Sir.

(b) Does not arise. There is no such system of rotational transfers.

Mosques in the Country under ASI

3151. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEN AFZAL:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of mosques in the country under the Archaeological Survey of India;

(b) in how many mosques 5 times prayer is allowed; and

(c) in how many mosques 5 times prayer was allowed during the Ramzan this year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) and (b) As per the record of the Archaeological Survey of India there are 266 mosques under Central protection. Out of these 136 mosques are under regular daily worship.

(c) During Ramzan this year offering of prayers had been allowed at the Centrally protected mosques.

Production of 12,000 Megawatt Power during 8th Plan Period

3152. SHRI RAM AWADHESH SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to formulate plans to produce 12,000 Megawatt thermal and hydro-electric power for industrial development during the Eighth Plan keeping in view the poverty, backwardness, unemployment, imbalanced development and the mineral resources of Bihar; and

(b) if so by when a final decision would be taken and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BHAGEY GOBARDHAN): (a) The 8th Plan power programme for Bihar is yet under formulation.

(b) The 8th Plan proposals for the power programme of Bihar have yet to be received. Those would be finalised in consultation with State Government.

दिल्ली प्रशासन में स्नातकोत्तर अध्यापकों, उपप्रधानाचार्यों और प्रधानाचार्यों की पदोन्नति

3153. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के विद्यालयों में स्नातकोत्तर अध्यापकों, उप-प्रधानाचार्यों और प्रधानाचार्यों की अलग-अलग कुल संख्या कितनी-कितनी है तथा इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) क्या इन श्रेणियों में आरक्षित कोटा भर दिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) वर्ष 1983 से लेकर अब तक सामान्य श्रेणी के तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने स्नातकोत्तर अध्यापकों को उप-प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया है ; और

(ङ) यदि, 1983 से लेकर अब तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के स्नातकोत्तर अध्यापकों को उप-प्रधानाचार्यों के पदों पर पदोन्नत नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं; और इन पदों को कब तक भर दिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार सामान्य श्रेणी और अ०ज०/अ०ज० जातियो से संबंधित स्नातकोत्तर शिक्षकों उप-प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य की वर्तमान संख्या निम्नलिखित हैं:-

	पी०जी० टी०	उप-प्रधानाचार्य	प्रधानाचार्य
अन्य	4950	528	331
अ०ज०/अ०ज० जा०	832	10	103
अ०ज०/अ०ज० जा० की प्रतिशतता	14%	1.8%	23.7%
कुल	5782	538	434

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रोन्नति के लिए संभरक श्रेणी में योग्य छात्रों के उपलब्ध न होने के कारण अ०ज०/अ०ज०जा० का कोटा भरा नहीं जा सका। पी० जी०टी० के मामले में 75% पद प्रोन्नति द्वारा और 25% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। उप-प्रधानाचार्यों के पद केवल प्रोन्नति द्वारा ही भरे जाते हैं । प्रिंसिपल के 50% पद प्रोन्नति द्वारा और 50% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं।

(घ) दिल्ली प्रशासन के अनुसार 816 स्नातकोत्तर शिक्षकों को आज तक उप प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नत किया गया है जिनमें से 15 अनुसूचित जातियों से संबंधित हैं । इनमें से 5 को अब प्रिंसिपलों के रूप में प्रोन्नत किया जा चुका है।